PK टाइम्स

दैनिक **लोक टुडे** जनता की आवाज...

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्षः 12 | अंकः 339 | मूल्यः 1.00 रुपए | पृष्ठः 4 | बुधवार 24 जून 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

राजस्थान में यूसीसी की ओर बढ़े कदम

एक राज्य-एक कानून लाने की तैयारी

राजस्थान सरकार ने कानून का ड्राफ्ट बनाने के लिए बनाई हाई-लेवल कमेटी, बहु-विवाह पर लगेगी रोक, लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण होगा जरूरी

मनोहरसिंह खोखर। जयपुर

उत्तराखंड की तर्ज पर अब राजस्थान में भी 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) लागू करने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में 'राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026' का प्रारूप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का औपचारिक गठन कर दिया है। इस समिति की कमान सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। यह समिति बहु-विवाह पर प्रतिबंध, लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण और संपति में महिलाओं को समान अधिकार जैसे प्रावधानों के साथ 6 महीने के भीतर अंतिम मसौदा तैयार करेगी।

कैबिनेट बैठक में हुआ था फैसला

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 14 अप्रैल 2026 को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दी गई थी। सरकार का मानना है कि यह केवल एक कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों में समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

प्रस्तावित कानून में क्या होगा खास?

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने स्पष्ट किया कि यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, संपत्ति उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू हो जाएगा।

बहु-विवाह पर पूर्ण रोकः प्रदेश में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक विवाह नहीं कर सकेगा।

लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरणः लिव-इन में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।

संपत्ति में बेटियों को बराबर हकः पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी को समान उत्तराधिकार अधिकार मिलेगा।

शादी-तलाक का अनिवार्य रजिस्ट्रेशनः सभी वर्गों के लिए विवाह और तलाक का सरकारी पंजीकरण आवश्यक होगा।

आदिवासी परंपराओं को मिलेगा संरक्षण -

मंत्रियों ने साफ किया कि संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 44 के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। हालांकि, राजस्थान के सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समुदायों की रीतियों, परंपराओं और उनके संवैधानिक अधिकारों को इस कानून के दायरे से बाहर रखते हुए पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। समिति जल्द ही संभागीय स्तर पर जनसुनवाई कर आम जनता से सुझाव आमंत्रित करेगी।

धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं रहेगा

मंत्री पटेल ने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी। इसके साथ ही वर्तमान में प्रचलित विभिन्न पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ की अलग-अलग व्यवस्थाओं के स्थान पर एक समान नागरिक कानून लागू होगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित कानून में बहुविवाह पर रोक, विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण तथा संपत्ति में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

सुझावों के लिए समिति का गठन

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के अध्ययन और सुझावों के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों सहित विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, जो विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी अनुशंसाएं सरकार को सौंपेंगे। इसके बाद यूसीसी के प्रारूप को को अंतिम रूप दिया जाएगा।

राजस्थान को इसकी जरूरत है - बेढम

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि उत्तराखंड, गुजरात और असम अपने स्तर पर यूसीसी कानून पारित कर चुके हैं, जबकि गोवा में लंबे समय से समान नागरिक संहिता जैसी व्यवस्था लागू है। राजस्थान में भी इसकी जरूरत है। यहां के नागरिकों को भी समान अवसर मिलने चाहिए। मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के बाद आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को रख सकती है।

जनसंवाद के जरिए सहमति बनाने की कोशिश

सरकार ने समिति को संभाग स्तर पर जनसंवाद और आम लोगों से सुझाव लेने की जिम्मेदारी भी दी है। इसका राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि इससे सरकार यह संदेश देना चाहती है कि कानून किसी समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि व्यापक परामर्श के आधार पर तैयार किया जाएगा।

लखनऊ अग्निकांडः 15 लोगों की मौत मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की विस्तृत जांच

लखनऊ।

लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में हुए अग्निकांड में पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में कुल 15 लोगों की मौत हुई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार को थाना अलीगंज क्षेत्र की चौकी पुरनिया अंतर्गत सेक्टर-डी कॉलोनी स्थित लालबत्ती यूपीएससी भवन के पीछे एक बिल्डिंग में हुई। आग लगने और धुआं भर जाने के कारण कई लोग अंदर फंस गए थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए भवन से नीचे कूद गए, जिससे वे घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त लखनऊ, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था), संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), पुलिस उपायुक्त उत्तरी, अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी, सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज समेत स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। इसके अलावा फायर सर्विस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान चलाया।

राहत कार्य के दौरान फंसे हुए लोगों और घायलों को सुरक्षित निकाला गया और उन्हें केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। आग पर काबू पाने और मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया गया। इस मामले में थाना अलीगंज में भवन मालिक, प्रतिष्ठान संचालकों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है और भवन संचालन, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, फायर एनओसी और अन्य वैधानिक अनुमतियों की जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में भवन मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, गेमिंग जोन के संचालक/डायरेक्टर तुषांक कृष्ण जायसवाल, आईटी नेटवर्किंग का काम करने वाले सुरेश कुमार साहू और पेटशॉप मालिक राम कृष्ण उपाध्याय शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और घटना के लिए जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

विशेष रिपोर्ट : सुलगता सवालः क्या पर्यावरण न्याय की आड़ में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भुखमरी और विस्थापन में धकेलना जायज है?

प्रदेश में 'ग्रीन एक्शन' की भारी कीमत चुका रहे बेकसूर मजदूर

प्रदूषण के नाम पर 1400 फैक्ट्रियां बंद, एक लाख परिवार दाने-दाने को मोहताज

जोधपुर/बालोतरा/पाली।

पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक गलियारे इस समय एक अभूतपूर्व मानवीय और आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कड़े रुख के बाद जोधपुर, पाली और बालोतरा के टेक्सटाइल और स्टील उद्योग केंद्रों में 1,400 से अधिक फैक्ट्रियों को अचानक बंद कर दिया गया है। साफ़ नदियों और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में उठाए गए इस कानूनी कदम ने एक झटके में उत्तर प्रदेश और बिहार से आए एक लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को बेरोजगारी, कर्ज और भुखमरी के दलदल में धकेल दिया है।

यह ग्राउंड रिपोर्ट बयां करती है कि कैसे सालों की प्रशासनिक लापरवाही, निगरानी समितियों की सुस्ती और फैक्ट्रियों के गैर-जिम्मेदाराना रवैये की अंतिम कीमत समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा असंगठित मजदूर चुका रहा है।

केस स्टडी 1 : दिनेश चौहान – 20 साल का आशियाना एक फोन कॉल से उजड़ा

बिहार के नवादा जिले से आकर पिछले बीस सालों से बालोतरा की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में 34,000 महीना कमाने वाले 34 वर्षीय दिनेश चौहान (बदला हुआ नाम) इस त्रासदी का जीता-जागता चेहरा हैं। दिनेश इसी कमाई के भरोसे अपना घर बनाने के लिए हर महीने 10,000 की ऋण किस्त चुका रहे थे। लेकिन 2 जून को फैक्ट्री मालिक के एक फोन ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। बिना किसी अग्रिम सूचना, सामाजिक सुरक्षा या बकाया मजदूरी के उन्हें काम से निकाल दिया गया।

विवश होकर दिनेश ने 500-600 की दिहाड़ी पर चिलचिलाती धूप में निर्माण मजदूर (लेबर) के रूप में काम शुरू किया, लेकिन औद्योगिक कौशल रखने वाले दिनेश दो दिन भी इस कठोर माहौल में टिक नहीं पाए। आज उनका परिवार अनिश्चितता के अंधकार में है।

केस स्टडी 2: महेश पांडे – बच्चों की स्कूल फीस और लोन की चिंता में डूबे

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आए 30 वर्षीय महेश पांडे की कहानी भी अलग नहीं है। 30,000 महीना कमाने वाले महेश पर 12,000 मासिक का हाउसिंग लोन है। उनके बच्चे यहीं एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनकी फीस भरने के लिए अब उनके पास पैसे नहीं हैं। फैक्ट्री बंद होने के बाद मालिक ने उन्हें 15,000 महीने पर उसी बंद कारखाने में सुरक्षा गार्ड की नौकरी दी है, जो उनकी पुरानी सैलरी की ठीक आधी है। महेश कहते हैं, 'मुझे सबसे ज्यादा खाने की चिंता नहीं है, चिंता सिर पर चढ़े कर्ज की है।'

एक सूनी पड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री

CETP – बिठूजा, बालोतरा

महेश पांडे

जोधपुर की स्टील फैक्ट्रियों की महिला मज़दूर

विपिन

सालों की व्यवस्थागत लापरवाहीः कैसे जहर बनीं नदियां?

औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण की यह भयावह स्थिति रातों-रात पैदा नहीं हुई, बल्कि यह वर्षों की सामूहिक प्रशासनिक विफलता का नतीजा है। उद्योग मालिकों और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) ऑपरेटरों ने नियमों को ताक पर रखकर जोधपुर की जोजरी, बांडी और लूनी नदियों में सीधे रासायनिक और बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी बहाया। बाद में आई जांच रिपोर्टों में जमीन के नीचे छिपी 4 किलोमीटर लंबी अवैध पाइपलाइनों, टैंकरों द्वारा जहरीले कचरे के अवैध निपटान और CETP परिसरों में खतरनाक कचरे के अवैध भंडारण का पर्दाफाश हुआ। नदियां काली पड़ गईं, भूजल जहरीला हो गया और हजारों बीघा उपजाऊ कृषि भूमि बंजर हो गई। इसी पर्यावरणीय तबाही को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कड़ा हस्तक्षेप करना पड़ा।

ईएसआई और पीएफ गायब, नकदी के खेल ने मजदूरों को कहीं का नहीं छोड़ा

फैक्ट्रियों के अचानक बंद होने के बाद मजदूरों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आई कि उनके पास छंटनी (ले-ऑफ) के समय मिलने वाला कोई कानूनी सहारा नहीं था। जोधपुर और बालोतरा के मजदूरों के अनुसार, उन्हें रिकॉर्ड पर रखने के बजाय ज्यादातर नकद (कैश) भुगतान किया जाता था। नतीजतन, संकट के इस समय उन्हें न तो कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) का लाभ मिल पा रहा है और न ही भविष्य निधि (PF) का कोई सहारा है। बालोतरा टैक्सटाइल मजदूर यूनियन के आंकड़ों के अनुसार, करीब 70' से अधिक प्रवासी मजदूर या तो पलायन कर चुके हैं या अपने गृह राज्यों को लौट चुके हैं। जो बचे हैं, वे अपनी बकाया मजदूरी मिलने की क्षीण उम्मीद या फैक्ट्रियों के दोबारा खुलने के इंतजार में किराए के कमरों में दिन काट रहे हैं।

दोहरी मार : महिला श्रमिकों का दर्द और ब्लैक मार्केट का कहर

जोधपुर की स्टील और टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे की शिफ्ट कर ?12,000 कमाने वाली महिला श्रमिक इस समय सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। एक तरफ रोजगार छिन गया है, तो दूसरी तरफ मकान मालिक ?2,000 से ?5,500 तक का किराया वसूलने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही, माइक्रोफाइनेंस कंपनियां घर और शादियों के लिए लिए गए लोन की किश्तें वसूलने पर अड़ी हैं। वैश्विक और राजनीतिक तनावों के कारण स्थानीय ब्लैक मार्केट में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत ?3,000 तक पहुंच गई है, जिसने इन परिवारों के भोजन के बजट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इसका सीधा असर बिहार और उत्तर प्रदेश में बैठे उनके उन बूढ़े माता-पिता पर भी पड़ा है, जिन्हें ये मजदूर हर महीने ?2,000 से ?5,000 की आर्थिक मदद भेजते थे।

कम मजदूरी पर मजबूरी का फायदा उठा रहे अन्य उद्योग

इस संकट का फायदा अन्य चालू औद्योगिक क्षेत्र, जैसे हैंडीक्राफ्ट उद्योग, उठा रहे हैं। वे इन बेरोजगार मजदूरों को बहुत कम मजदूरी पर काम का प्रस्ताव दे रहे हैं। साथ ही, वे इन्हें स्थायी रूप से रखने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि टेक्सटाइल और स्टील फैक्ट्रियां दोबारा खुलते ही ये मजदूर वापस लौट जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आए 22 वर्षीय विपिन, जो पहले ?18,000 कमाते थे, सरकार और उद्योगपतियों पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहते हैं : 'मजदूर पर्यावरण सुधार के विरोधी नहीं हैं; हमारी नाराजगी इस बात से है कि मालिकों की गलतियों की कीमत सिर्फ हमें क्यों चुकानी पड़ रही है? सरकार ने फैक्ट्रियां बंद करने से पहले हमारे पेट और हमारे परिवारों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा।'

क्या कहता है मजदूर संगठन और सामाजिक संगठन?

ह्लञ्जष्ट और बालोतरा की मेसराइज यूनियन सहित विभिन्न मजदूर संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ले-ऑफ मुआवजे और तत्काल वैकल्पिक रोजगार की मांग की है। ह्लञ्जष्ट के बाड़मेर जनरल सेक्रेटरी हनुमान राम ने कहा कि सरकार उन असुरक्षित मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रही है, जो इस पूरे संकट के लिए रत्ती भर भी जिम्मेदार नहीं थे।

'साफ नदियां बनाम रोजगार' नहीं, न्यायसंगत बदलाव की जरूरत

पश्चिमी राजस्थान का यह संकट देश के सामने एक बड़ा नीतिगत सवाल खड़ा करता है। पर्यावरण संरक्षण और नदियों को साफ रखना बेहद जरूरी है, इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती। लेकिन क्या एक 'ग्रीन इकॉनमी' का निर्माण असंगठित मजदूरों को भूख, कंगाली और विस्थापन की आग में झोंककर किया जाना चाहिए? यह पूरी बंदी एक कानूनी शून्य (वैक्यूम) में चल रही है, जहां पर्यावरण की अनुपालन रिपोर्टों में मजदूरों को महज एक अदृश्य 'नुकसान' मानकर छोड़ दिया गया है। न्यायिक और सरकारी हस्तक्षेपों को अब पर्यावरण सुरक्षा के साथ-साथ 'मजदूरों के जीने के अधिकार' को भी सख्ती से जोड़ना होगा। सालों की नियामक विफलता और कॉरपोरेट लालच की वित्तीय सजा राज्य सरकार और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगपतियों को भुगतनी चाहिए, न कि दिनेश और महेश जैसे बेकसूर मजदूरों को।

संपादकीय | सिकल सेल रोग से निपटने की चुनौती

मानव सभ्यता ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निदान से लेकर जीन संपादन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों तक विज्ञान ने अनेक असाध्य रोगों के उपचार की संभावनाएं विकसित की हैं. फिर भी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिनके लिए जीवन आज भी एक निरंतर संघर्ष बना हुआ है. सिकल सेल रोग उन्हीं चुनौतियों में से एक है. यह केवल एक आनुवंशिक रक्त विकार नहीं बल्कि स्वास्थ्य असमानता, सामाजिक न्याय और चिकित्सा सुविधाओं तक समान पहुंच से जुड़ा वैश्विक प्रश्न बन चुका है. इसी वास्तविकता को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 19 जून को 'विश्व सिकल सेल दिवस' मनाया जाता है.

वर्ष 2026 में विश्व सिकल सेल दिवस का वैश्विक विषय है 'जीवन प्रत्याशा में अंतर को कम करनाः सिकल सेल रोग में समानता'. यह विषय इस कठोर सच्चाई को सामने लाता है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बावजूद दुनिया के विभिन्न देशों और समुदायों में सिकल सेल रोगियों की जीवन प्रत्याशा में भारी अंतर मौजूद है. विकसित देशों में जहां समय पर जांच, उपचार और विशेषज्ञ देखभाल के कारण रोगी अपेक्षाकृत लंबा जीवन जी रहे हैं, वहीं निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हजारों बच्चे पांच वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही इस रोग के कारण दम तोड़ देते हैं.

यह हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन में आनुवंशिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता

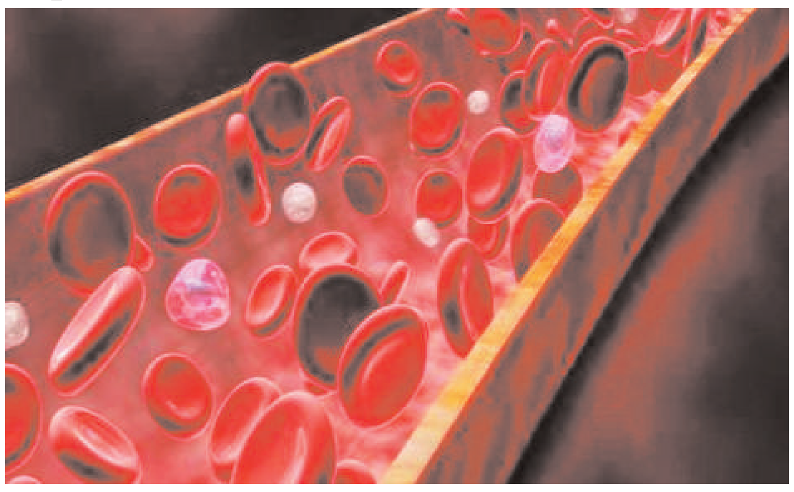

है. सामान्य परिस्थितियों में लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार और लचीली होती हैं, जो शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं लेकिन सिकल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाएं अर्धचंद्राकार या हंसिए जैसी आकृति धारण कर लेती हैं. ये कोशिकाएं कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं तथा रक्त वाहिकाओं में फंसकर रक्त प्रवाह को बाधित करती हैं.

परिणामस्वरूप रोगी को असहनीय दर्द, एनीमिया, अंगों की क्षति और कई बार जीवन-घातक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है. सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल लगभग 120 दिन होता है जबकि सिकल कोशिकाएं केवल 10 से 20 दिनों में नष्ट हो जाती हैं. इससे रोगी लगातार एनीमिया से ग्रस्त रहता है.

भारत में सिकल सेल रोग एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहा है. छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी व्यापकता अपेक्षाकृत अधिक है. देश की कई जनजातीय आबादियां इस रोग से प्रभावित हैं. इसी कारण भारत सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2047 तक इस रोग की चुनौती को निर्यंत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मिशन के तहत बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग, आनुवंशिक परामर्श, जागरूकता अभियान और समय पर उपचार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.

बंजर होती उपजाऊ धरती को बचाने की चुनौती

देवेंद्रराज सुथार

यह किसी से छुपा नहीं है कि धरती तेजी से बंजर होती जा रही है. हर साल दस करोड़ हेक्टेयर उपजाऊ जमीन मरुस्थल में तब्दील हो जाती है, जो कि मिस्र देश के भू-क्षेत्र के बराबर है. मरुस्थलीकरण की समस्या कोई एकाएक उपजी विपदा नहीं है. यह उस दीर्घकालिक लापरवाही का परिणाम है जो मनुष्य ने प्रकृति के साथ बरती है. वनों की अनियंत्रित कटाई, रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग और भूजल के अत्यधिक दोहन ने मिलकर भूमि की उर्वरा शक्ति को क्षीण कर दिया है. जलवायु परिवर्तन ने इस विनाश की गति को और तीव्र किया है. मानसून की अनिश्चितता और तापमान में लगातार वृद्धि ने सूखे की मार को पहले से कहीं ज्यादा कठोर बना दिया है.

भारत की लगभग तीस प्रतिशत भूमि क्षरण का शिकार है और पच्चीस करोड़ से अधिक लोग इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं. राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के विशाल भू-भाग रेत की चपेट में आते जा रहे हैं. बुंदेलखंड का किसान हर तीसरे-चौथे साल सूखे की विभीषिका झेलता है. विदर्भ में खेत सूखते हैं तो किसान का धैर्य भी टूट जाता है और वह आत्मघाती कदम उठाने पर विवश हो जाता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या से निपटने के प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस की स्थापना 17 जून 1994 को की गई थी और तब से 130 से अधिक देश 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य अपना चुके हैं. दिसंबर 2024 में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित कॉप 16 में भारत ने भी अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. किंतु अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लिए गए संकल्पों और धरातल पर हो रहे कार्यों के बीच की खाई को पाटना अभी शेष है. धरती की उर्वरता केवल किसानों का प्रश्न नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी प्रश्न है.

आज का कार्टून

जीएम फसलों की बहस खेत से थाली तक पहुंची

बीज पर किसका हक

> दुनिया भर में जीएम फसलों को लेकर तस्वीर अलग है। अमेरिका में जीएम सोयाबीन और मक्का बड़े पैमाने पर खाया जाता है। वहां की सरकार और कंपनियां इसे 'नवाचार' मानती हैं और इसे अर्थव्यवस्था का आधार बताती हैं। वहीं, यूरोपीय संघ ने अत्यंत कड़े नियम अपनाए हैं। वहां उत्पादों पर 'अनिवार्य लेबलिंग' का पालन होता है, ताकि उपभोक्ता को पता हो कि वह 'प्राकृतिक' खा रहा है या 'जीएम'। यह बताता है कि यह केवल भारत का डर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इस तकनीक को 'परखने' के दौर में है। यह वैश्विक मतभेद भी दर्शाता है कि जीएम फसलों का मुद्दा केवल विज्ञान पर नहीं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर भी टिका है। यूरोपीय संघ की सावधानी यह सिखाती है कि उपभोक्ता की 'जानने की इच्छा' और 'पसंद की स्वतंत्रता' को तकनीक के ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सुधीर कुमार

विज्ञान अब हमारे घर की दहलीज को पार कर हमारी रसोई तक पहुंच गया है। क्या हमने कभी अपनी थाली में रखी रोटी या सब्जी को देख कर यह सोचा है कि उसका 'डीएनए' क्या है? निश्चित रूप से इस पर किसी ने नहीं सोचा होगा। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित (जीएम) फसलों का मुद्दा अब महज प्रयोगशालाओं का विमर्श नहीं रहा, बल्कि यह हमारी थाली की सुरक्षा और देश के कानून के लिए एक द्वंद्व बन गया है। एक तरफ भूख मिटाने के लिए विज्ञान वरदान की तरह है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनसुलझे जोखिम। यह विषय केवल कृषि का नहीं, बल्कि नीति-निर्माण और भविष्य की सुरक्षा का भी है।

जीएम फसलों का अर्थ समझना सरल है, मगर इसका निहितार्थ अत्यंत जटिल। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे हम 'फोटो एडिटिंग ऐप' से किसी तस्वीर में 'फिल्टर' लगाते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक किसी फसल के बीज में कोई दूसरा 'वांछित जीन' डाल देते हैं, ताकि वह अधिक पैदावार दे सके, सूखे को झेल सके या कीटों से लड़ सके। विज्ञान की भाषा में इसे 'ट्रांसजेनिक' कहते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए यह अपनी थाली में किसी 'अपरिचित' मेहमान के आने जैसा है। हम नहीं जानते कि यह मेहमान हमारा मित्र है या शत्रु?

जब हम एक पौधे के प्राकृतिक गुणों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो केवल एक जीन नहीं बदलते, बल्कि उस पूरी खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं, जिसका हिस्सा वह पौधा है। जैव-प्रौद्योगिकी समर्थकों का तर्क है कि बढ़ती आबादी के लिए यह अनिवार्य है, जबकि आलोचकों का मानना है कि 'प्राकृतिक क्रम' में हस्तक्षेप के परिणाम नकारात्मक एवं दीर्घकालिक हो सकते हैं। भारत में जीएम फसलों की कानूनी स्थिति बेहद सतर्क रही है। हमारे यहां विनियमन का ढांचा मुख्य रूप से 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के तहत गठित 'जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति' के कंधे पर है। यह समिति तय करती है कि कौन-सी फसल देश में उगाई जा सकती है और उसके परीक्षण के मानक क्या होंगे।

भारत में अभी तक केवल 'बीटी कपास' को व्यावसायिक खेती की अनुमति मिली है, जो एक गैर-खाद्य फसल है। खाद्य फसलों के मामले में, जैसे कि जीएम सरसों का मामला लंबे समय से विवादों में रहा है। यह दर्शाता है कि नियामक संस्थाओं और जनहित के बीच एक गहरी खाई है। तकनीकी मंजूरी मिल जाना एक बात है, लेकिन सामाजिक स्वीकृति और कानूनी वैधता प्राप्त करना दूसरी बड़ी बात है।

कानूनी परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निर्णायक रही है। अरुणा रोड्रिग्स बनाम भारत संघ (2005) का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जीएम फसलों के परीक्षण में जैव-सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है। अदालत ने बार-बार 'एहतियाती सिद्धांत' को रेखांकित किया है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी तकनीक से पर्यावरण या सेहत को नुकसान होने की थोड़ी भी संभावना हो, तो उसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत ही हमारी थाली की सुरक्षा का सबसे बड़ा कानूनी कवच है।

इसी तरह, आर्यावर्त बनाम भारत संघ (2023) जैसे मामलों में अदालतों ने जोर दिया है कि जैव-सुरक्षा से समझौता करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त 'जीवन के अधिकार' और 'स्वस्थ भोजन के अधिकार' का उल्लंघन हो सकता है। अदालतें यहां केवल कानून की व्याख्या नहीं कर रही हैं, बल्कि वे एक 'अभिभावक' की भूमिका निभा रही हैं, जो विज्ञान की चकाचौंध में जन-स्वास्थ्य को ओझल नहीं होने देना चाहतीं।

दुनिया भर में जीएम फसलों को लेकर तस्वीर अलग है। अमेरिका में जीएम सोयाबीन और मक्का बड़े पैमाने पर खाया जाता है। वहां की सरकार और कंपनियां इसे 'नवाचार' मानती हैं और इसे अर्थव्यवस्था का आधार बताती हैं। वहीं, यूरोपीय संघ ने अत्यंत कड़े नियम अपनाए हैं। वहां उत्पादों पर 'अनिवार्य लेबलिंग' का पालन होता है, ताकि उपभोक्ता को पता हो कि वह 'प्राकृतिक' खा रहा है या 'जीएम'। यह बताता है कि यह केवल भारत का डर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इस तकनीक को 'परखने' के दौर में है।

यह वैश्विक मतभेद भी दर्शाता है कि जीएम फसलों का मुद्दा केवल विज्ञान पर नहीं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर भी टिका है। यूरोपीय संघ की सावधानी यह सिखाती है कि उपभोक्ता की 'जानने की इच्छा' और 'पसंद की स्वतंत्रता' को तकनीक के ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इस विषय का एक अत्यंत अनूठा और कम चर्चित पहलू 'बौद्धिक संपदा अधिकार' और 'खाद्य संप्रभुता' है। कानून की नजर में यह कंपनियों के पेटेंट और किसानों के परंपरागत अधिकारों के बीच का युद्ध है। जब कोई कंपनी बीज का पेटेंट ले लेती है, तो किसानों को हर साल नया बीज खरीदना पड़ता है। यह परंपरा के विपरीत है, जहां किसान खुद बीज सुरक्षित रखता था।

भारत में 'पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' मौजूद तो है, लेकिन बड़ी कंपनियों के पेटेंट के सामने गरीब किसानों की आवाज प्रायः दब जाती है। अगर बीज पर नियंत्रण विदेशी कंपनियों का होगा, तो हमारी कृषि नीति कहां जाएगी? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक के साथ-साथ किसानों के अधिकार भी सुरक्षित रहें।

खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार को पूर्ण पारदर्शिता को अनिवार्य बनाना चाहिए, ताकि जीएम उत्पादों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार हो कि वे क्या उपभोग कर रहे हैं। यह सूचना के अधिकार का ही एक तार्किक विस्तार है। इस पारदर्शिता के साथ-साथ, सुरक्षा जांचों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के बजाय सरकार की ओर से अधिकृत स्वतंत्र प्रयोगशालाओं से गहन जांच कराई जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, एक सख्त कानून का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान हो कि मिट्टी की उर्वरता, भूजल प्रदूषण या जन-स्वास्थ्य पर पड़ने वाले किसी भी नकारात्मक प्रभाव के लिए संबंधित कंपनियां आर्थिक रूप से उत्तरदायी होंगी। नीति-निर्धारण की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए किसी भी नई जैव-प्रौद्योगिकी के व्यापक कार्यान्वयन से पहले स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि किसान और आम जनता इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन सकें।

इन सभी पहलुओं की प्रभावी निगरानी के लिए 'जीएम निगरानी बोर्ड' का गठन जरूरी है। साथ ही यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान दुश्मन नहीं है, लेकिन तकनीक और प्रकृति के बीच का संतुलन ही जीवन की कुंजी है। हमें जीएम फसलों के एकतरफा विरोध और आंख मूंदकर समर्थन करने से बचना होगा।

कानून का काम है कि वह नवाचार को रोके नहीं, बल्कि उसे सुरक्षा के दायरे में रखे। क्या तकनीक के नाम पर हम अपनी पारंपरिक खेती को दांव पर लगा रहे हैं? यह प्रश्न आज हर नीति-निर्माता की मेज पर होना चाहिए। सतर्कता ही वह सुरक्षा है, जो हमारे भोजन और जीवन को सार्थक बनाती है।

जो रुक गया, वह हार गया...

> मनुष्य का जीवन बहती हुई नदी की तरह होता है। नदी जब तक बहती रहती है, तब तक निर्मल और जीवंत रहती है, लेकिन जैसे ही उसका प्रवाह रुकता है, उसमें दुर्गंध पड़ने लगती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी निरंतर चलने में ही अपनी सार्थकता खोजता है। चलना दरअसल भीतर की उस चेतना का नाम है, जो हार के बाद भी उठ खड़ी होती है, अंधेरे में उजाले की उम्मीद करती है और हर टूटन के बाद भी स्वयं को फिर से जोड़ने का साहस रखती है।

मोनिका राज

जब मनुष्य चलता है, तब वह केवल रास्ते तय नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर बची हुई उम्मीदों को भी जीवित रखता है। वह यह स्वीकार करता है कि उसके भीतर अभी भी सीखने की क्षमता है, बदलने का साहस है और सपनों को फिर से जीने की इच्छा बाकी है।

हालांकि जीवन में ठहराव कभी-कभी आवश्यक होता है, क्योंकि थका हुआ शरीर विश्राम चाहता है, लेकिन जब यही ठहराव मन की आदत बन जाता है, तब वह धीरे-धीरे जड़ता में बदलने लगता है। जड़ता वह अवस्था है, जहां मनुष्य अपने भीतर की रोशनी खोने लगता है। वह परिस्थितियों को अपनी नियति मान बैठता है और संघर्ष करना छोड़ देता है। यही कारण है कि जीवन में रुकना कभी समाधान नहीं हो सकता।

समय कभी नहीं रुकता। सूरज प्रतिदिन उगता है, ऋतुएं बदलती हैं, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, नदियां बहती रहती हैं। प्रकृति का प्रत्येक तत्त्व हमें यही सिखाता है कि जीवन का अर्थ आगे बढ़ने में है। आम लोगों के जीवन में भी यह सत्य हर दिन दिखाई देता है। एक मजदूर सुबह-सुबह घर से निकलता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह रुक गया, तो उसके बच्चों का चूल्हा नहीं जलेगा। एक किसान तपती धूप में खेतों में मेहनत करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आज की मेहनत कल की फसल बनेगी। एक विद्यार्थी बार-बार असफल होने के बाद भी किताबें खोलता है, क्योंकि उसके भीतर कहीं न कहीं यह उम्मीद बची रहती है कि एक दिन सफलता उसके दरवाजे पर भी दस्तक देगी।

एक मां अपने दुखों को छिपाकर परिवार के लिए मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसका चलना ही पूरे घर की शक्ति बन जाता है। ये साधारण लोग किसी बड़े मंच पर दिखाई नहीं देते, लेकिन इन्हीं के संघर्ष जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा होते हैं। आज का समय मानसिक थकान और निराशा का समय भी बनता जा रहा है। लोग छोटी-छोटी असफलताओं से टूटने लगे हैं। सोशल मीडिया की चमक ने जीवन की वास्तविकताओं को धुंधला कर दिया है। हर व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमतर समझने लगा है। ऐसे समय में 'चलते रहने' का अर्थ और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

आगे बढ़ना हमेशा बड़ी उपलब्धियां हासिल करना नहीं होता। कई बार आगे बढ़ना केवल इतना होता है कि मनुष्य अपने दुखों के बावजूद अगली सुबह उठकर फिर से जीवन शुरू कर दे। जीवन में कठिनाइयां कभी समाप्त नहीं होतीं। हर व्यक्ति अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा होता है। किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास संबंधों का अभाव, कोई अकेलेपन से जूझ रहा है, तो कोई असफलताओं से।

लेकिन इन सबके बीच जो व्यक्ति चलते रहने का साहस नहीं छोड़ता, वही आखिरकार जीवन का अर्थ समझ पाता है, क्योंकि जीवन निरंतर प्रयास करते रहने का नाम है। हार और असफलता मनुष्य को रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ देता, तो वह कभी चलना सीख ही नहीं पाता। इसी तरह अगर मनुष्य असफलताओं के डर से जीवन में रुक जाए, तो वह अपने भीतर छिपी संभावनाओं को कभी पहचान नहीं पाएगा।

चलते रहने का एक सुंदर अर्थ यह भी है कि मनुष्य स्वयं को लगातार बदलता रहे। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, वह धीरे-धीरे भीतर से बूढ़ा होने लगता है। उम्र का बूढ़ा होना उतना खतरनाक नहीं जितना विचारों का बूढ़ा हो जाना। जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। कभी परिस्थितियां हमें धैर्य सिखाती हैं, कभी लोग हमें संबंधों का अर्थ समझाते हैं, कभी संघर्ष हमें आत्मविश्वास देना सिखाते हैं। मगर यह सब वही व्यक्ति सीख पाता है, जो जीवन के साथ चलना जानता है।

हमारे समाज में अनेक लोग ऐसे मिल जाते हैं, जिन्होंने जीवन की बड़ी-बड़ी त्रासदियों के बाद भी हार नहीं मानी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर मनुष्य के भीतर उम्मीद की छोटी-सी लौ जलती रहे, तो वह अंधेरों को पार कर सकता है। दरअसल, मनुष्य जब चलता है तो वह केवल अपने लिए नहीं चलता। उसका साहस दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। एक पिता की मेहनत बच्चों के सपनों को जन्म देती है। एक शिक्षक का संघर्ष अनेक विद्यार्थियों का भविष्य बदल देता है। एक महिला का धैर्य पूरे परिवार को टूटने से बचा लेता है।

वास्तव में हर समय तेज गति से दौड़ना आवश्यक नहीं है। जीवन में कभी-कभी धीरे चलना भी जरूरी होता है। थकान होने पर थोड़ी देर रुकना गलत नहीं, लेकिन स्वयं को पूरी तरह ठहरा देना खतरनाक है। मनुष्य को जीवन में विश्राम लेना चाहिए, पर हार मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से रुक जाता है, वह धीरे-धीरे सपने देखना भी छोड़ देता है। जीवन का सबसे सुंदर सत्य यही है कि जब तक मनुष्य के भीतर आगे बढ़ने की इच्छा बची हुई है, तब तक कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं हो सकता। हर संघर्ष मनुष्य को थोड़ा और परिपक्व बनाता है। चलना केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को स्वीकार करना है। यह स्वीकार करना है कि हमारे भीतर अभी भी उम्मीद बची हुई है, अभी भी सपने जीवित हैं और अभी भी जीवन को सुंदर बनाने की संभावना बाकी है।

हनुमान जी अपने नाम के अनुरुप ही भक्तों के संकटों को दूर करते हैं। आस्था और सच्ची भक्ति के आगे स्वयं भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं और अपने प्रिय भक्त को संसार का हर सुख देने को आतुर रहते हैं। महाबली हनुमान की भक्ति भी ऐसी ही है। तभी तो प्रभु श्री राम ने उन्हें भक्त शिरोमणि बना दिया।

पवन पुत्र हनुमान की लीलाएं बालपन से ही शुरू हो गई थीं, इसलिए कई जगहों पर इन्हें बालाजी के नाम से पूजा जाता है। मेहंदीपुर में भी महाबली हनुमान अपने बाल स्वरूप में विराजमान है।

मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन से टल जाते हैं संकट

मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते ही इंसान के सभी प्रकार के संकट टलने लगते हैं। जो भी मेहंदीपुर धाम जाता है अपने सभी दुख, अपनी सारी विपत्तियां वहीं श्री बालाजी के चरणों में छोड़ आता है।

मेहंदीपुर में बालाजी की सत्ता चलती है। यहां आकर जिसने श्री बालाजी का आशीर्वाद पा लिया उसके मन की हर कामना का भार स्वयं बालाजी महाराज उठाते हैं। तभी तो जो भक्त एक बार मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लेता है वो बार-बार मेहंदीपुर जाने को आतुर रहता है।

मेहंदीपुर बालाजी धाम में हनुमान जी के बाल रूप का अति मनमोहक और अलौकिक दर्शन होता है। यहां श्री बाला जी महाराज के भवन के ठीक सामने सीताराम का दरबार सजता है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे बाला जी महाराज अपने प्रभु के निरंतर दर्शन से प्रसन्न हो रहे हैं और मां सीता के साथ ही प्रभु श्रीराम भी अपने सबसे प्रिय भक्त को देखकर मुस्कुरा रहे हैं।

मेहंदीपुर में केवल बालाजी के दर्शन नहीं होते। इनके साथ श्री भैरव बाबा और श्री प्रेतराज सरकार के भी साक्षात दर्शन होते हैं। इसीलिए कुछ भक्त इन्हें त्रिदेवों का धाम भी कहते हैं।

मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जो भी इंसान सच्चे मन और भक्ति भाव से अर्जी लगाता है उसकी सुनवाई जरूर होती है। श्री बालाजी उस भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। कहते हैं मेहंदीपुर धाम कोई भी भक्त उदास नहीं लौटता। मेहंदीपुर में हर प्रकार की समस्या का समाधान मिल जाता है।

क्या है मंदिर में दर्शन की प्रक्रिया?

ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग ऊपरी बाधा (भूत-प्रेत वगैरह) से पीड़ित होते हैं, केवल वही बालाजी मंदिर जाते हैं। सामान्य तौर पर भी भारी संख्या में लोग यहां दर्शन के लिए जाते हैं और मान्यता है कि इस मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है। यहां प्रसाद 2 तरह से चढ़ाया जाता है, जिसे दरख्वास्त और अर्जी कहते हैं।

मान्यता है कि दरख्वास्त मंदिर में सुरक्षित आने और जाने के लिए लगाते हैं और अर्जी किसी विशेष मनोकामना (जैसे- नौकरी या बिजनेस, परीक्षा में सफलता, रोग दूर करने के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए, विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए या भूत-प्रेत बाधा मुक्ति) के लिए लगाते हैं। वहीं सवामणि एक विशेष प्रकार का प्रसाद होता है, जिसे भक्त अपनी मनोकामना के पूरे होने के बाद बालाजी में चढ़ाते हैं।

अर्जी और दरख्वास्त के प्रसाद के डिब्बों में क्या होता है?

बालाजी के मंदिर में मुख्य रूप से 3 देव हैं, जिसमें बालाजी, भैरव और प्रेतराज सरकार स्थापित हैं। मंदिर में इन्हीं की पूजा होती है। पहले इन देवों को प्रसाद चढ़ाने की प्रक्रिया अलग थी। दरख्वास्त में एक छोटे से दोने मे कुछ लड्डू, बताशे व घी होते थे और अर्जी में लड्डू, उड़द और चावल होते थे।

मान्यता के मुताबिक, बालाजी को लड्डू, भैरव को उड़द और प्रेतराज सरकार को चावल चढ़ते थे। लेकिन अब नई प्रक्रिया के तहत इसे बंद कर दिया गया है। अब दरख्वास्त और अर्जी दोनों ही तरह के प्रसाद के डिब्बों में बेसन के लड्डू होते हैं। दरख्वास्त के डिब्बे में कम लड्डू होते हैं और अर्जी के डिब्बे में ज्यादा मात्रा में लड्डू होते हैं।

कैसे कटते हैं भूत-प्रेत वाले संकट?

मान्यता है कि संकटग्रस्त व्यक्ति (भूत-प्रेत बाधा से पीड़ित) बालाजी के दरबार में अर्जी के लगाने के बाद जैसे ही 2 लड्डू खाता है और फिर उन्हें अपने सिर से 7 बार उतारकर किसी मांगने वाले को दे देता है या जानवर को खिला देता है तो उसके अंदर मौजूद निगेटिव एनर्जी को बहुत पीड़ा होती है। ऐसे व्यक्ति को जैसे ही सुबह और शाम को होने वाली बालाजी की आरती में ले जाया जाता है तो उसके अंदर का संकट उभरकर सामने आ जाता है और वह अजीब हरकतें करने लगता है।

इसे स्थानीय भाषा में कहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के अंदर का भूत-प्रेत कराहने लगता है और जैसे ही बालाजी क ी आरती खत्म होती है तो बालाजी के अंदर से निकलने वाले पवित्र जल की छींटे इस पीड़ित के ऊपर डाली जाती हैं। पवित्र जल के पड़ने से पीड़ित व्यक्ति को अपने संकट से मुक्ति मिल जाती है।

मान्यता है कि हर व्यक्ति को यहां बालाजी की सुबह-शाम को होने वाली आरती में जरूर शामिल होना चाहिए और आरती के बाद पवित्र जल के छींटे लेने चाहिए। वैसे ये पवित्र जल हर रोज सुबह एक घंटे श्रद्धालुओं को बांटा जाता है, जिसके लिए लंबी लाइनें लगती हैं। जल को स्टोर करने के लिए मंदिर के सामने ही डिब्बे मिलते हैं। अगर आप किसी बाधा से पीड़ित नहीं हैं, फिर भी इस जल को लेने से आपके जीवन की हर परेशानी का अंत होगा, ऐसा कहा जाता है।

किन बातों का ध्यान रखें?

मान्यता है कि अर्जी लगाने के बाद व्यक्ति को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और सीधा चलते रहना चाहिए। बालाजी के मंदिर में आने से 10 दिन पहले मांस, अंडा, शराब, प्याज, लहसन का सेवन बंद कर देना चाहिए और मंदिर से लौटने के बाद 41 दिन तक इन चीजों का परहेज करना चाहिए। मान्यता ये भी है कि संकट कटवाने वाले व्यक्ति को बालाजी से लौटने के बाद 41 दिनों तक सफेद चीजें (दूध,दही,चावल,सफेद मिठाई) नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा जमीन पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कहा ये भी जाता है कि 41 दिनों तक ना ही किसी के घर जाना चाहिए और ना ही किसी के घर का खाना चाहिए।

रात में बार-बार खुल जाती है नींद? शरीर दे रहा इस बीमारी का संकेत

रात की अच्छी और गहरी नींद शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। लेकिन अगर आपकी नींद रात में बार-बार खुल जाती है और दोबारा सोने में दिक्कत होती है, तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक, बार-बार नींद टूटना कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं का संकेत हो सकता है। लंबे समय तक यह परेशानी बनी रहे, तो इसका असर न सिर्फ आपकी ऊर्जा पर पड़ता है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रात में एक बार जागना कई लोगों के लिए सामान्य हो सकता है। हालांकि, अगर आपकी आंख बार-बार खुल रही है, नींद पूरी नहीं हो रही या सुबह उठने पर थकान महसूस होती है, तो इसके पीछे कोई स्वास्थ्य समस्या छिपी हो सकती है।

स्लीप एपनिया : नींद का बड़ा दुश्मन

रात में बार-बार नींद खुलने की एक बड़ी वजह स्लीप एपनिया हो सकती है। इस स्थिति में सोते समय व्यक्ति की सांस कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है या धीमी हो जाती है, जिससे मस्तिष्क शरीर को जगाने का संकेत देता है। इस समस्या से जूझ रहे कई लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि उनकी नींद लगातार बाधित हो रही है। इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं

तेज खर्राटे आना

सुबह सिरदर्द होना
दिनभर थकान महसूस होना
ध्यान केंद्रित करने में परेशानी

अगर ये लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो सकता है।

तनाव और चिंता भी तोड़ सकती है नींद

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और डिप्रेशन आम समस्याएं बन गई हैं। मानसिक तनाव का सीधा असर नींद पर पड़ता है। अनिद्रा यानी इंसोम्निया से जूझ रहे लोग अक्सर रात में कई बार जाग जाते हैं और दोबारा सो नहीं पाते। लगातार ऐसा होने पर दिनभर चिड़चिड़ापन, थकान और काम में मन न लगने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।

रात में बार-बार पेशाब आना भी हो सकता है कारण

अगर आपकी नींद बार-बार पेशाब के लिए उठने से टूटती है, तो इसके पीछे कई स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं

कुछ दवाओं का प्रभाव

ऐसे मामलों में केवल नींद की दिक्कत का इलाज नहीं, बल्कि मूल कारण की पहचान और उपचार जरूरी होता है।

कमरे का तापमान भी करता है असर

नींद की गुणवत्ता आपके कमरे के माहौल पर भी निर्भर करती है। यदि कमरा बहुत गर्म हो या रात में ज्यादा पसीना आए, तो नींद बार-बार खुल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार अच्छी नींद के लिए कमरा ठंडा, शांत और हल्का अंधेरा होना चाहिए। ऐसा वातावरण शरीर को आराम देता है और गहरी नींद में मदद करता है।

सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल पड़ सकता है भारी - आजकल सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करना आम आदत बन गई है। लेकिन स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी शरीर की प्राकृतिक सर्केडियन रिदम को प्रभावित कर सकती है। इससे नींद आने में देर लग सकती है और रात में बार-बार जागने की समस्या भी बढ़ सकती है। बेहतर नींद के लिए विशेषज्ञ सोने से कम से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूरी बनाने की सलाह देते हैं।

कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए

यदि आपको लगातार इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें

रात में बार-बार नींद खुलना
सुबह उठने पर थकान महसूस होना
तेज खर्राटे आना
सांस रुकने जैसा महसूस होना
दिनभर नींद या सुस्ती रहना

समय रहते कारण की पहचान और इलाज न केवल आपकी नींद को बेहतर बना सकता है, बल्कि कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाव कर सकता है।

अच्छी नींद ही बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी - अच्छी नींद केवल आराम नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। अगर आपकी नींद बार-बार टूट रही है, तो इसे शरीर का एक संकेत समझें और समय रहते कारण जानने की कोशिश करें। छोटी-सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी में बदल सकती है।

रविवार को सूर्यदेव को प्रसन्न करने के उपाय अराधना से होता है लाभ

हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही अहम हिस्सा और केंद्र बिंदु माना है। ज्योतिष शास्त्र में जहां सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा माना गया है वहीं धार्मिक नजरिए से सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। हिंदू धर्म में सूर्यदेव के लिए रविवार का दिन समर्पित है और इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। सूर्य ऊर्जा, सफलता और सकारात्मकता के एक बहुत ही खास केंद्र बिंदु हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होते हैं उनके जीवन में मान-सम्मान और यश की कमी रहती है। वहीं अगर कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हैं तो जातक के जीवन में परेशानियां बहुत ही कम आती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। रविवार के दिन सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए कई तरह के उपाय, दान-पुण्य और पूजा-पाठ किया जाता है। आइए जानते हैं रविवार के दिन सूर्य उपासना के लिए कौन-कौन सा कार्य करना शुभ माना जाता है।

रविवार का दिन सूर्य देव का दिन माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह आत्मा, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, पिता, सरकारी कार्य, नेतृत्व क्षमता और यश का कारक है। मान्यता है कि रविवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने से सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कई बाधाएं दूर होने लगती हैं। आइए जानते हैं

रविवार के दिन दान का महत्व

सूर्य उपासना के लिए रविवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कई चीजों का दान करना विशेष फलदायी साबित होता है। रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य से संबंधित चीजें जैसे तांबे का बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, माणिक्य, लाल चंदन आदि का दान करें। अपनी श्रद्धानुसार इन चीजों में से किसी भी चीज का दान किया जा सकता है। इससे कुंडली में सूर्य दोष दूर हो जाते हैंऔर धन,ऐश्वर्य और मान-सम्मान की प्राप्ति होती है।

सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना होता है शुभ

रविवार की सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना जाता है। जल में लाल चंदन या लाल फूल मिलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य देने से सूर्य प्रसन्न होते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलने लगती है। नियमित रूप से यह कार्य करने से यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ

रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह स्तोत्र सूर्य की उपासना का सर्वोत्तम माध्यम है। इसके नियमित पाठ से आत्मबल बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और जीवन की बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं।

लाल वस्तुओं का दान करें

रविवार के दिन लाल रंग से जुड़ी वस्तुओं का दान करना सूर्य को मजबूत करने का प्रभावी उपाय माना जाता है। लाल कपड़ा, गुड़, गेहूं या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान करने से सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। मान्यता है कि इससे पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और करियर में स्थिरता आती है। समाज में सम्मान भी बढ़ता है।

अर्घ्य देने का महत्व

वैसे तो सूर्यदेव को हर एक दिन सुबह जल अर्पित करने का महत्व होता है, लेकिन रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना और जल अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। रविवार के दिन प्रात :काल नहाकर उगते हुए सूर्य को जल देने के लिए तांबे के लोटे में जल, लाल चन्दन, चावल, लाल फूल और कुश डालकर प्रसन्न मन से सूर्य की ओर मुख करके कलश को छाती के बीचों-बीच लाकर सूर्य मंत्र का जप करते हुए जल की धारा धीरे-धीरे प्रवाहित कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए।

रविवार के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ

सूर्य देव की उपासना में आदित्य हृदय स्तोत्र का विशेष महत्व होता है। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जीवन के अनेक कष्टों का एकमात्र निवारण है। इसके नियमित पाठ से मानसिक कष्ट, हृदय रोग, तनाव, शत्रु कष्ट और असफलताओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

व्रत रखने का महत्व

सूर्यदेव की उपासना में रविवार के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। बढ़िया स्वास्थ्य, मान-सम्मान, धन-संपदा के लिए रविवार के दिन व्रत रखना और कथा सुनने से हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। रविवार के दिन सूर्य का व्रत करने से काया निरोगी रहती है, साथ ही अशुभ फल भी शुभ फल में बदल जाते है। अगर इस दिन व्रत कथा सुनी जाए तो इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

संक्षिप्त समाचार

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में अरविंद केजरीवाल की एंट्री

नई दिल्ली, एजेंसी। अयोध्या के श्रीरामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आम

आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है। शुक्रवार को मैं दर्शन के लिये श्री राम मंदिर जाऊंगा।' बता दें कि राम मंदिर में करोड़ों रुपये के चढ़ावे और दान की कथित चोरी के मामले में हाल ही में सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल ने पहले भी इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया था कि इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद अब तक एक भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। उन्होंने कहा था कि सरकार किसे बचा रही है?

दिल्ली में झाड़ियों में मिला अनजान बुजुर्ग का शव, 2 दिन बाद मिली खबर

नईदिल्ली, एजेंसी। वेलकम इलाके में झाड़ियों में एक बुजुर्ग का शव मिला है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मृतक की पहचान का प्रयास कर रही है। पुलिस ने बताया कि रविवार शाम को शाहदरा जीटी रोड पर झाड़ियों में एक बुजुर्ग का शव पड़े होने की सूचना मिली। शव एक से दो दिन पुराना लग रहा था। ऐसा कोई कागजात नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। आशंका है कि नशे की ओवरडोज से बुजुर्ग की जान गई है।

डॉक्टर मनीष गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पूछताछ में खुलेंगे गहरे राज

नईदिल्ली, एजेंसी। दक्षिणी दिल्ली के माउंट कैलाश में घरेलू सहायिका की हत्या मामले में

दो दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपी चिकित्सक मनीष गुप्ता को फिर साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की ओर से इस बार रिमांड की मांग न होने पर कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद वह अपनी पत्नी और बेटे की हत्या के बाद खुद को भी मारना चाहता था। लेकिन मीना के साथ की गई बर्बरता को देखकर वह हिम्मत नहीं कर सका। वहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से आब्सेसिव कंपल्सिव डिसआर्डर (ओसीडी) और अवसाद की समस्या से जूझ रहा था। उसका इलाज चल रहा था। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए दो दिन की हिरासत अवधि में पुलिस उसकी विशेष निगरानी कर रही थी।

बारिश से पहले ही 'डूबने' को तैयार दिल्ली, नालों से निकली गाद उठाना भूला पीडब्ल्यूडी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में मानसून की दस्तक से पूर्व लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बरसाती नालों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति का आलम तो जारी है ही, नालों से निकाली गई गाद उठाने के मामले में भी विभाग के अधिकारी पिछले सालों की गलतियों से कोई सबक नहीं ले रहे हैं।

24 घंटे का वादा, 8 दिन का इंतजार: मानसून को देखते हुए विभाग द्वारा यह स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि नालों से निकाली गई गाद को 24 घंटे के अंदर मौके से हटा लिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इन कागजी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। राजधानी के कई इलाकों में नालों से निकाली गई गाद पांच से लेकर आठ दिनों तक सड़कों और नालियों के किनारे यूं ही पड़ी है। इस लापरवाही ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

गाद सड़कों पर दे रही बीमारी को दावत: मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही तेज वर्षा की संभावनाओं के बीच यह आशंका प्रबल हो रही है कि यदि समय रहते इस गाद को नहीं उठाया गया, तो वर्षा का पानी इसे वापस नालों में बहा ले जाएगा। नालों के फिर से चोक होने की स्थिति

में सड़कों पर भारी जलभराव का संकट पैदा हो सकता है।

स्थानीय निवासियों और जागरूक नागरिकों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी शायद इसी स्थिति का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि यदि पहली ही वर्षा में गाद वापस नाले में चली जाती है, तो अधिकारियों और ठेकेदारों को दोबारा गाद निकालने के नाम पर एक और भ्रष्टाचार का रास्ता मिल जाएगा।

यह संदेह निराधार भी नहीं है, क्योंकि पिछले वर्षों में भी ऐसा कई बार देखा गया है। भारी वर्षा के बाद तमाम निकाली गई गाद फिर से नालों में बह गई थी और विभाग के भ्रष्ट अभियंताओं ने बिना काम किए ही गाद उठाने का पूरा सरकारी भुगतान (बिल) पास करवा लिया था।

60 किमी की स्पीड से चलेगी हवा, दिल्ली में हल्की बारिश के आसार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में आज मंगलवार को भी चुभन भरी गर्मी से राहत बनी रहेगी। मौसम विभाग की मानें तो शहर भर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहेगा। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 40 से 60 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इससे पहले, रविवार को मौसम ने दिनभर आंख-मिचौली का खेल खेला। सुबह से दोपहर तक आसमान बादलों की चादर में लिपटा रहा, जिससे लोगों को बारिश की उम्मीद जगी, लेकिन दोपहर बाद तेज धूप निकलने से गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। बादलों की मौजूदगी के बावजूद बारिश नहीं होने से लोगों को राहत नहीं मिल सकी। सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहा और आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर तक लोगों को लगा कि कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन बादलों के छंटते ही तेज धूप निकल आई। इसके बाद उमस का असर और बढ़ गया। बादलों की सक्रियता बढ़ने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

बालेन का स्पष्टीकरण- ब्रिटेन की मध्यस्थता नहीं चाहते, बातचीत से सुलझाएंगे विवाद

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत-नेपाल सीमा विवाद को लेकर अपने पहले दिए गए बयान पर सफाई दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नेपाल सीमा विवाद सुलझाने के लिए ब्रिटेन की मध्यस्थता नहीं चाहता और यह मामला भारत के साथ सीधे बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। रविवार को चितवन जिले में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के महासम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि नेपाल के पास कालापानी और लिपुलेख क्षेत्रों से जुड़े पर्याप्त ऐतिहासिक दस्तावेज और सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उनका आशय केवल इतना था कि यदि ब्रिटिश शासनकाल के रिकॉर्ड की जरूरत पड़ी तो नेपाल उन्हें प्रस्तुत कर सकता है। भारत-नेपाल सीमा पर सीमा पिलरों को लेकर दोनों देशों की सर्वे एजेंसियां और सुरक्षा बल आपसी सहयोग एवं समन्वय के साथ सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत-नेपाल सीमा पर सीमा पिलरों को लेकर दोनों देशों की सर्वे एजेंसियां और सुरक्षा बल आपसी सहयोग एवं समन्वय के साथ सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। बालेन शाह ने आगे कहा, 'हम ब्रिटेन की मध्यस्थता नहीं चाहते। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के जरिए और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस मुद्दे का समाधान करेंगे। हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं और किसी को भी हमारे राष्ट्रवाद पर संदेह नहीं होना चाहिए।' दरअसल, 31 मई को संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए पीएम बालेन शाह ने कहा था कि नेपाल ने भारत और चीन के अलावा ब्रिटेन सरकार से भी बात की है, क्योंकि सीमा विवाद से जुड़े कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रिटिश शासनकाल के हैं। उनके इस बयान के बाद नेपाल में विपक्षी दलों, विदेश नीति विशेषज्ञों और सीमा मामलों के जानकारों ने आलोचना की थी। भारत और नेपाल के बीच कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है।

व्हाइट हाउस में ऑनर समारोह दौरान बेइज्जत हुए ट्रंप, वीर सैनिक को सम्मानित करते फंसे

वाशिंगटन, एजेंसी। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में आयोजित एक प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान समारोह उस समय चर्चा का विषय बन गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान मेडल आफ हॉनर को पहनाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान मौजूद लोगों की हंसी छूट गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यह समारोह सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना के मेजर निकोलस डॉकरी को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। डॉकरी को वर्ष 2012 में अफगानिस्तान में तालिबान के घातक हमले के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए यह सम्मान दिया गया।

मेजर डॉकरी की वीरता की प्रशंसा करने के बाद ट्रंप उनके पास पहुंचे और मेडल ऑफ ऑनर उनके गले में पहनाने लगे। लेकिन पदक के

रिबन के पीछे लगे क्लैस्प को बंद करने में उन्हें कठिनाई हुई। एक गांठ में बांध दिया और सम्मान प्रक्रिया पूरी की। घटना के दौरान ट्रंप ने डॉकरी से कुछ हल्की-फुल्की बातें भी कीं और बाद में उनके कंधे पर हाथ रखकर बधाई दी। समारोह में मौजूद वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सैन्य कमांडर और अन्य अतिथि इस अप्रत्याशित स्थिति पर मुस्कुराते और हंसते नजर आए। हालांकि कार्यक्रम बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा और सम्मान समारोह की गरिमा बरकरार रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई लोगों ने इसे औपचारिक समारोह में ट्रंप के लिए असहज पल बताया। कुछ टिप्पणीकारों ने इसे शर्मनाक स्थिति करार दिया। ट्रंप समर्थकों ने कहा कि मेडल ऑफ ऑनर के औपचारिक क्लैस्प अक्सर जटिल होते हैं। लाइव टेलीविजन कार्यक्रमों में ऐसी तकनीकी दिक्कतें किसी के साथ भी हो सकती हैं। मेजर निकोलस डॉकरी को अफगानिस्तान में तालिबान के हमले के दौरान अपने घायल साथियों को बचाने और दुश्मन की गोलीबारी के बीच बार-बार अपनी जान जोखिम में डालने के लिए सम्मानित किया गया। उनकी बहादुरी को अमेरिकी सेना की असाधारण वीरता के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। कुछ क्षणों की तकनीकी असुविधा के बावजूद समारोह का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी सैन्य वीरों के साहस, बलिदान और देश सेवा को सम्मानित करना रहा।

भारत और कनाडा रिश्तों में नई गर्माहट, मोदी-कार्नी की नजदीकियां बनीं चर्चा का विषय

टोरंटो एजेंसी। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस कूटर ने कहा है कि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच मजबूत व्यक्तिगत तालमेल दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। बातचीत में कूटर ने कहा कि पिछले दो वर्षों में आई कूटनीतिक चुनौतियों के बावजूद अब भारत और कनाडा के संबंध फिर से सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। कूटर ने बताया कि मोदी और कार्नी अब तक चार बार मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में दोनों नेताओं ने फ्रांस के एवियन में आयोजित त7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी बातचीत की थी।

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, दोनों प्रधानमंत्री कई बार मिल चुके हैं, फोन पर भी बातचीत करते हैं और शायद व्हाट्सएप पर भी संपर्क में रहते होंगे। कूटर के अनुसार दोनों नेताओं में एक समानता है वे परिणाम चाहते हैं और तेजी से निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं। कनाडाई उच्चायुक्त ने कहा कि कनाडा अपनी वैश्विक साझेदारियों को विविध बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है और भारत इस रणनीति का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें शामिल होंगे

भारत और कनाडा के बीच पिछले वर्षों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर तनाव देखने को मिला था। हालांकि कूटर का कहना है कि अब दोनों देशों ने ऐसे मुद्दों पर काम करने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित प्रक्रिया विकसित कर ली है। उन्होंने कहा, दोनों देशों की एजेंसियां अब एक-दूसरे के कामकाज को बेहतर समझती हैं और इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी पक्ष को अप्रत्याशित स्थिति का सामना न करना पड़े। कूटर ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्नी ने हाल ही में दिए अपने भाषण में ऐसे देशों के बीच सहयोग की बात की थी जो वैश्विक महाशक्तियां नहीं हैं लेकिन अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा करना चाहते हैं। उनके अनुसार भारत और कनाडा इसी सोच के तहत लचीली और व्यावहारिक साझेदारी विकसित कर रहे हैं।

● रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला

रूस की राजधानी मॉस्को तक पहुंचे यूक्रेन के ड्रोन? चार एयरपोर्ट बंद, दहशत में लोग

मॉस्को। रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीमा पार हमलों के तहत सोमवार को मॉस्को को निशाना बनाकर दर्जनों यूक्रेनी ड्रोन से हमले किए गए। जिसके कारण लोगों में दहशत फैल गई। यूक्रेनी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से मॉस्को के चार हवाई अड्डों को अस्थाई रूप से बंद करते हुए उड़ानों पर रोक लगा दी गई।

मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन के ने टेलीग्राम पर बताया, रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुल 59 ड्रोन मार गिराए, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर उड़ानों को रोका गया। रूसी अधइकारियों का कहना है कि यह एक बड़ा ड्रोन हमला था, जिसे रूसी वायु सेना ने समय रहते रोक दिया और बड़े खतरे को टाल दिया।

विज्ञान ने भी माना योग का लोहा, आंतों के बैक्टीरिया से लेकर मस्तिष्क की क्षमता तक... अल्जाइमर रोगियों में दिखे चमत्कारी बदलाव

नई दिल्ली, एजेंसी। बार-बार चक्कर आने या अचानक बेहोश हो जाने (वेसोवैगल सिंकोप) की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए योग एक प्रभावी उपचार साबित हो रहा है। यही नहीं अल्जाइमर रोगियों में भी योग से याददाश्त,

मानसिक क्षमता और मनोदशा में सुधार के संकेत मिले हैं। एम्स में हुए अलग-अलग शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि योग विभिन्न तंत्रिका संबंधी समस्याओं के प्रबंधन और उपचार दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वह प्रभावी सहायक उपचार साबित हो रहा है।

एम्स के शोध 'लिव-योगा' में पाया गया है कि नियमित योगाभ्यास से वेसोवैगल सिंकोप के मरीजों में बेहोशी और चक्कर आने की घटनाओं में कमी आई। इस शोध के परिणाम प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'जेएसीसी : क्लीनिकल इलेक्ट्रोफिजियोलाजी' में प्रकाशित हुए हैं। शोधकर्ता डॉ. गौतम शर्मा ने बताया कि वेसोवैगल सिंकोप ऐसी स्थिति है, जिसमें तनाव, लंबे समय तक खड़ेरहने, दर्द या भावनात्मक उत्तेजना के कारण मस्तिष्क तक रक्त प्रवाह अस्थायी रूप से कम हो जाता है।

इससे व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं या वह अचानक बेहोश हो सकता है। यह समस्या मरीजों के दैनिक जीवन, कामकाज और आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। शोध में 15 से 70 वर्ष आयु वर्ग के 55 मरीजों को शामिल किया गया। एक समूह को सामान्य उपचार दिया गया, जिसमें पर्याप्त पानी और नमक का सेवन तथा विशेष शारीरिक अभ्यास शामिल थे।

दूसरे समूह को सामान्य उपचार के साथ योगाभ्यास भी कराया गया। योग कार्यक्रम में आसन, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग और ध्यान को शामिल किया गया। सभी प्रतिभागियों की स्थिति पर एक वर्ष तक लगातार निगरानी रखी गई।

परिणामों के अनुसार, योग करने वाले मरीजों में 12 महीने के दौरान बेहोशी या चक्कर आने की औसत घटनाएं 0.7 रहीं, जबकि केवल सामान्य उपचार पाने वाले मरीजों में यह संख्या 2.52 दर्ज की गई। योग समूह के 43 प्रतिशत मरीज पूरे अध्ययन काल में किसी भी घटना से मुक्त रहे, जबकि दूसरे समूह में यह अनुपात 16 प्रतिशत था।

डॉ. गौतम शर्मा और उनकी टीम के अनुसार योग का लाभ छह सप्ताह के भीतर दिखाई देने लगा और पूरे समय बना रहा। मरीजों में बेहोश होने का डर कम हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा। डॉ. गौतम शर्मा के अनुसार वेसोवैगल सिंकोप पर हुए अध्ययन में योग सुरक्षित, सुलभ और कम लागत वाला उपचार विकल्प साबित हुआ है। कोई गंभीर दुष्प्रभाव भी सामने नहीं आया।

एम्स के शरीर रचना विभाग की प्रोफेसर डॉ. रीमा दादा और न्यूरोलाजी विभागाध्यक्ष डा. मंजरी त्रिपाठी के नेतृत्व में किए गए और जर्नल आफ अल्जाइमर्स डिजीज में प्रकाशित 'अल्जाइमर में योग का महत्व' शोध के अनुसार आरंभिक अल्जाइमर पर योग का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

पाया गया कि 12 सप्ताह तक प्रतिदिन 60 मिनट योग करने वाले मरीजों की मानसिक क्षमता, याददाश्त और मनोदशा में सुधार के साथ अवसाद के लक्षणों में कमी और आंतों के माइक्रोबायोम में सकारात्मक बदलाव भी हुए। शोधकर्ता डॉ. रीमा दादा ने बताया कि योग के बाद लाभकारी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ी, सूजन बढ़ाने वाले जीवाणुओं में कमी आई।

मरीजों की संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार के साथ उनका माइक्रोबायोम प्रोफाइल स्वस्थ व्यक्तियों जैसा होने लगा। यह मस्तिष्क के बेहतर स्वास्थ्य का संकेत होता है। डॉ. मंजरी त्रिपाठी के अनुसार योग को अल्जाइमर का संपूर्ण उपचार नहीं माना जा सकता पर, आरंभिक अल्जाइमर और हल्के संज्ञानात्मक विकार से पीड़ित मरीजों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सहायक चिकित्सा साबित हो सकता है।

सोलर पंप से सिंचाई भी, बिजली बेचकर कमाई भी... पीएम कुसुम योजना से किसानों की बढ़ेगी आमदनी

नई दिल्ली। खेती-किसानी में लगातार बढ़ते बिजली और डीजल के खर्च से परेशान किसानों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए किसान सिर्फ बिजली का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, बल्कि खुद बिजली बनाकर उसे सरकार को बेचेंगे और हर महीने मोटी कमाई भी करेंगे।

कुसुम-ए योजना की खासियत

इस योजना के तहत अगर किसी किसान के पास बंजर या ऐसी जमीन है जिस पर खेती नहीं होती, तो वे वहां सौर ऊर्जा संयंत्र लगवा सकते हैं। इस प्लांट से जो बिजली बनेगी, उसे सरकारी बिजली कंपनी पूरे 25 साल तक खरीदेगी। इसके लिए सरकार के साथ एक एग्रीमेंट (समझौता) होता है, जिससे किसानों को घर बैठे हर साल पक्की आमदनी होने लगती है। इस योजना के तहत किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जाते हैं। सामान्य किसानों को पंप की कीमत पर 60 प्रतिशत की भारी छूट मिलती है, जिसमें 30त्न केंद्र सरकार और 30त्न राज्य सरकार देती है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के किसानों को 95त्न तक की छूट दी जाती है। इसके अलावा दिन की धूप में यह पंप आसानी से चलता है, जिससे डीजल और बिजली का भारी-भरकम खर्च पूरी तरह खत्म हो जाता है। वहीं कुसुम-सी योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास पहले से ही बिजली से चलने वाला कृषि पंप मौजूद है। इस योजना में उस पंप को सोलर पैनल से जोड़ दिया जाता है। किसान दिनभर अपनी जरूरत के मुताबिक सिंचाई करता है और जो बिजली बच जाती है, उसे सरकारी ग्रिड को बेच देता है। इसके इंस्टॉलेशन खर्च पर भी 30 प्रतिशत की छूट मिलती है और 25 साल तक बिजली बेचने की गारंटी होती है।

कहां और कैसे करें आवेदन? गौरतलब है कि इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। किसान भाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट mpuvn.mp.gov.in Øæ pmkusum.mnre.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करते समय किसान के पास पहचान पत्र (जैसे आधार), समग्र आईडी, जमीन के कागज, बैंक खाते की जानकारी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादक: नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालाना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)